बिहार सरकार

विधि विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-01-02/2010/ 94 /जे0, दिनांक-19.08.2013

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-5157, दिनांक-25.03.2013 द्वारा श्री लाल बाबू गुप्ता, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को उप सचिव, वित्त विभाग के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके द्वारा निष्पादन किये जाने वाले कार्यो को विधि विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों के बीच निम्नरूपेण आवंटित किया जाता है:-

पदाधिकारी का नाम		आवंटित कार्य
1.	**श्री उज्ज्वल कुमार दुबे,** संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी	पूर्व आवंटित कार्यो के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं, निगरानी एवं राजस्व पैनल के अधिवक्ताओं तथा सभी आयोगों के विशेष लोक अभियोजकों एवं उनके सहायक अधिवक्ताओं का शुल्क विपत्र का कार्य पूर्व आवंटित कार्यो के अतिरिक्त।
2.	**श्री अनिल कुमार सिंह,** अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार।	स्थापना एवं पेंशनादि से सम्बन्धित कार्यो का नोडल पदाधिकारी का कार्य।
3.	**श्री कृष्ण कुमार दास,** अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार।	पूर्व आंटित कार्यो के अतिरिक्त विभागीय लोक सूचना कोषांग में लोक सूचना पदाधिकारी का कार्य सहित लोक सूचना एवं जन शिकायत कोषांग के कार्यो हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी।

2. उक्त शुल्क विपत्र से सम्बन्धित सभी संचिकायें सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा सीधे संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी के समक्ष उपस्थापित की जायेगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-बी0/मु0स्था0-01-02/2010/ 6178 **/जे0** **पटना, दिनांक** 19/08/13

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित पदाधिकारियों सहित सभी विभागीय पदाधिकारी/सम्बन्धित सहायक/प्रभारी टंकण शाखा एवं निर्गम शाखा/विभागीय लेखा शाखा/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/विभागी आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

E:\Sanjeet Kumar\Office Order.doc